



मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 12 SEP 2025

क्रमांक : एफ-3-26/2021/तेरह/04 : विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, श्री गजेन्द्र तिवारी, विद्युत लोकपाल, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है।

2/ उपरोक्त नियुक्ति विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82, 84, 85, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी। आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तों) नियम, 2000 (यथासंशोधित) के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(नीरज मण्डलोई)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

पृ क्रमांक : एफ-3-26/2021/तेरह/04
प्रतिलिपि—

भोपाल, दिनांक 12 SEP 2025

1. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, सेवा भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली - 110066.
3. सचिव, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी एवं चौथी मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली - 110001
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. सचिव (कार्मिक), म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क, बाणगंगा, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि. भोपाल।

9. प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य/पश्चिम/पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., भोपाल/इंदौर/जबलपुर।
10. प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी लिमि., जबलपुर।
11. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
12. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मान. ऊर्जा मंत्री जी, भोपाल।
13. सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।
14. श्री गजेन्द्र तिवारी, 44, लाला लाजपत रॉय कॉलोनी, गोविंदपुरा, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के सदस्य का पदभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग